फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री शंकरलाल — **विपक्षी : श्री डालु**

किस्म मुकदमा – 88,188,128 रा.का.अ. — **पत्रावली संख्या : 22/24**

जीसीएमएस : 2024/43

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 16.12.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। पूर्व पेशी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित। पूर्व पेशी पर अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 128 भू.राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया था परन्तु पक्षकारान का आपसी राजीनामा हो चुका हैं। इसलिए वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 विड्रो फरमाई जावें एवं धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम के तहत् पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का श्रम करावें। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा पत्थरगढी का आदेश किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा आकोदडा पटवार हल्का बडगांव तह. मावली की आराजी नम्बर 237/119 रकबा 0.03237 हेक्टेयर भूमि खातेदार किशोर पिता शोभा के नाम, आराजी नम्बर 118/99, 99 किता 2 कुल रकबा 0.9469 हेक्टेयर भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के मौरूस एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के नाम दर्ज हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा निहीत नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का केवल मात्र पडोसी खातेदार हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी हेतु सहमत हैं। वादी स्वयं धारा 88, 188 रा.का.अ. के तहत् कोई अनुतोष प्राप्त नहीं करना चाहकर विड्रो करना चाहता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार [illegible] अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का [illegible] फरमाया जाना तथा धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम [illegible] किया जाकर पत्[illegible] के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puhadia
Date: 2025.01.31 12:34:28 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर विड्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है तथा धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/-रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा आकोदडा पटवार हल्का बडगांव तह. मावली की आराजी नम्बर 237/119 रकबा 0.03237 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 118/99, 99 किता 2 कुल रकबा 0.9469 हेक्टेयर भूमि की चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:34:28 IST
Reason: SelfAttested